प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -20 /2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः अप्रैल 20, 2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 2997/2024 हिमांशू कनौजिया बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 12.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 2997/2024 हिमांशू कनौजिया बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रदेश में चल रही फर्जी सेवायोजन एजेन्सियों द्वारा युवाओं को नौकरी का लालच देकर धनादोहन किये जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए निम्नवत टिप्पणी की गयी है –

> - - - - - - Every individual would like to stand on his own legs to avert the reverberations of the said word "unemployment". Such untiring pursuit for employment by the youth is taken advantage of by certain sections/persons.
>
> 12. It is unfortunate that, now-a-days, everywhere in the country, bogus manpower consultant agencies and fake recruitment agencies are mushrooming with the main illegal object of luring the unemployed youth with employment in government sectors as well as in foreign countries. The youth too, without knowing the hidden agenda, are falling prey to such temptations of lucrative jobs and paying huge amounts even by selling the properties held by their families or availing loans from financial institutions with high rate of interest. While in some cases, the consultancies or agencies would disappear overnight with the amount collected from the victims, in some other cases, they used to issue fake appointment letters to the victims, who would know about the fraud played on them only at the time of joining the post. If ultimately, he is cheated, his entire future will be in peril and it is not easy to restore normalcy in life by overcoming from the situation. In my firm view, these white-collar crimes, which have drastic effects, should be dealt with iron hands and severe punishment should be awarded to the culprits.

2- मा0 उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश, मु.अ.सं. 369/2023 धारा 406/420/467/468 /471 भादवि, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर के अभियुक्त हिमांशू कनौजिया द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में सुनवाई के दौरान दिये हैं तथा अभियुक्त के अपराध को गम्भीर मानते हुए जमानत देने से इंकार किया गया।

l

3- आप सहमत होंगे की वर्तमान में चल रही फर्जी सेवायोजन एजन्सियों द्वारा नौकरी का लालच देकर युवाओं से बड़ी मात्रा में धनादोहन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लालच में इन एजन्सियों के शिकार बन रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के साथ हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी चिंता व्यक्त की गयी है।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि नौकरी का लालच देकर युवाओं से धनराशि लेने की घटनाओं को गम्भीरता से लिया जाए तथा इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अविलम्ब सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाए तथा प्रभावी विवेचना करते हुए ससमय आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, जिससे इस प्रकार की धोखाधड़ी में संलिप्त अपराधियों को मा0 न्यायालय से कटोर दण्ड से दण्डित कराया जा सके। यदि किसी संस्था या एजेन्सी द्वारा संगठित रूप से इस प्रकार की धोखाधड़ी कर धनार्जन करने का तथ्य संज्ञान में आता है तो आरोपियों के विरुद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाए तथा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती भी की जाए।

समस्त कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि अपने अधीनस्थों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत इन निर्देशों से अवगत करा दें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

20.4.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।